<u>पंजीकृत पावती</u> उल्लंघन पत्र

1/25959/2024





भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

माखुपुरा औद्यौगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area, अजमेर —305002(राजस्थान) Ajmer- 305002 (Rajasthan)

दिनांक: 21.02.2024

Indian Bureau of Mines
Mine Code: 40RAJ03001

संख्या:E/2471/MCDR-MiFL0Mn/1/2022-AJM-IBM_RO_AJM

प्रेषित: मेसर्स एशियन माइनिंग एसोसिएट्स,

सर्वे नंबर 536, पावागढ़ रोड, नेशनल वे ब्रिज के पास,

हलोल-389 350 (गुजरात)

Email-mmpl1@yahoo.in, amamnore@gmail.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Kalakhunta Manganese Ore Mine** (M.L. No. 04/2004, Lease area 18.898 Hect.) in Banswara District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 10.01.2024 by the undersigned in presence of Sh.

Akshay Nathani, Mining Engineer:

Rule	Nature of violation observed in detail
No.	
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of
	Mining Plan (Approved on 19.04.2021): -
	(i) During the year 2022-23, planataion was proposed over an area 0.15 hect. whereas actual
	plantation has been carried out over an area 0.10 hect.
	(ii) During the year 2022-23, backfilling was proposed over an area 0.08 hect. whereas actual
	backfilling has been carried out over an area 0.0289 hect.
	(iii) During the year 2022-23, total 150m garland drain proposed whereas actual 80m garland made.
	(iv) Mine development was proposed by formation of benches having 3m height whereas during the
	inspection bench height was observed approximately 7m in Pit No.5.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03.अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पेंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(डी. आर. गुर्जर) उप खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित: -

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, बांसवाड़ा ।
- 4. रक्षित पत्रावली ।